उत्तर प्रदेश शासन
खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग
संख्या-1/2020/39/58-2-2020-600(53)/2019
लखनऊ :दिनांक:: 13 जनवरी, 2020

सूचना

वर्ष 2019 में अनुभाग के पोर्टल पर शासनादेश संख्या- 139, 140, 141, 142, 143, 144 एवं 145 किन्ही कारणोंवश अपलोड नहीं किया जा सका हैं जो पत्र के साथ संलग्न कर अपलोड किया जा रहा है।

2. कृपया उक्त शासनादेश संख्या-139, 140, 141, 142, 143 एवं 145 को सही समझा जाया।

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

संख्या-139/2019/1047/58-2-2019-600(1)

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग लखनऊ::दिनांक: 23 दिसम्बर, 2019

विषयः- **मै0 ला-फ्रेश इन्टरप्राईजेज, ए2/15 साइट-5 यू0पी0एस0आई0डी0सी0 इण्डस्ट्रियल एरिया कासना ग्रेटर नोएडा को दुग्ध प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के योजनान्तर्गत ब्याज उपादान की प्रथम एवं द्वितीय किश्त की धनराशि रू0-8.62 लाख आठ लाख बासठ हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-खा0प्र0मि0-2150/102/2019-20, दिनांक-09.12 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1255/58-2-600(7)/2017टी0सी0, दिनांक- 24.11.2017 द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित स्टेट इम्पावर्ड सब कमेटी की बैठक दिनांकः 23.07.2019 को **मै0 ला-फ्रेश इन्टरप्राईजेज, ए2/15 स यू0पी0एस0आई0डी0सी0 इण्डस्ट्रियल एरिया कासना, ग्रेटर नोएडा को दुग्ध प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत **ब्याज उपादान** स्वीकृत किये जाने **की** संस्तुति/अनुमोदन किया गया है।

3. अनुदान संख्या-10 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-72/2019/352/58-2-2019-300(5)/2018, दिनांक-30/04/2019 के रू0-2163.00 लाख की व्यवस्था निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निवर्तन पर अवमुक्त की गयी

4. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं अभिलेख **मै0 ला-फ्रेश इन्टरप्राईजेज, ए2/15 साइट-5 यू0पी0एस0आई0डी0सी0 इण्डस्ट्रियल एरिया कासना, ग्रेटर नोए दुग्ध प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु** उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 18 एवं 2018-19 हेतु **ब्याज उपादान की प्रथम एवं द्वितीय किश्त की धनराशि रू0-8.62 लाख (रूपया आठ बासठ हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं तत्संबंध में निर्गत सुसंगत शास का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अनुपालन की स्थिति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या-36/2017/1343/58-2-2017-600(7)/2017, दिनांक-21.12.2017 एवं शासनादेश स 15/2019/205/58-2-2019-600(7)/2017, दिनांक-22.02.2019 में उल्लिखित शर्तों एवं नियमों का क अनुपालन कराया जाय।

(3) उक्त **ब्याज उपादान की प्रथम एवं द्वितीय किश्त की** धनराशि संस्था के टर्मलोन खातें में निर्गत किया सुनिश्चित करेंगे।

(4) अनुदान हेतु स्वीकृत की धनराशि जारी करने से पूर्व उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के निर्देशानुसार संस्था से वांछित समस्त अभिलेखों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कराने की कार्यवाही निदेशक,

.....

एवं खाद्य प्रसंस्करण/प्राधिकृत संस्था द्वारा पूर्ण करा ली जायेगी तथा उसकी पुष्टि करते हुए इस आशय का पत्र शासन में उपलब्ध कराया जायेगा तथा किसी भी प्रकार के अनियमितता के लिए निदेशक, उद्यान एवं प्रसंस्करण/निदेशक, मिशन उत्तरदायी होंगे।

(5) संस्था द्वारा संचालित योजना का स्थलीय निरीक्षण एवं भौतिक प्रगति निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा किया जायेगा तथा उसकी आख्या शासन में उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) उक्त धनराशि का उपयोग/व्यय दिनांक-31.03.2020 से पूर्व कर लिया जायेगा तथा आडिटेड उपयोगिता पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि को भुगतान करने से पूर्व वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) धनराशि का व्यय किसी भिन्न प्रयोजन में नहीं किया जायेगा तथा उसी मद में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(9) उक्त धनराशि के व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता हेतु निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/ मिशन तथा वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(10) राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों/वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन न किये जाने अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता/शिथिलता पाये जाने पर दी गई अनुदान की धनराशि की सुसंगत वसूली की जायेगी तथा दोषी के विरुद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(11) यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2018/बी-1-170/दस-2019-231/2018, दिनांक-22.03.2018 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जारहे हैं।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

संख्या-139/2019/1047(1)/58-2-2019, तद्दिनांक:

(1) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्न हिल रोड,इलाहाबाद।
(2) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
(3) जिलाधिकारी, **नोएडा** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से उक्त का सत्यापन कराकर शासन को सूचित करने का कष्ट करें।
(4) वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(8) नियोजन अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।
(9) दुग्ध विकास अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

संख्या-140/2019/1063/58-2-2019-600(34)/

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग लखनऊ::दिनांक: 23 दिसम्बर, 201

विषयः- **मैसर्स मारूफ इण्डस्ट्रीज, बी0-24, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, मलवाँ रोड, फतेहपुर को राईस मिल की स्थापना हेतु उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के योजनान्तर्गत ब्याज उपादान प्रथम किश्त की धनराशि रू0-6.46 लाख (रूपया छः लाख छियालिस हजार मात्र) अवमुक्त जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-खा0प्र0मि0-2157/194/2019-20, दिनांक-16.12.2019 संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1255/58-2-2600(7)/2017टी0सी0, दिनांक- 24.11.2017 द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित स्टेट इम्पावर्ड सब कमेटी की बैठक दिनांक: 23.07.2019 को **मैसर्स मारूफ इण्डस्ट्रीज, बी0-24, यू0पी0एस0आई0डी0 मलवाँ रोड, फतेहपुर को राईस मिल इकाई की स्थापना हेतु** उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्त **ब्याज उपादान** स्वीकृत किये जाने **की** संस्तुति/अनुमोदन प्रदान किया गया है।

3. अनुदान संख्या-10 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2 के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-72/2019/352/58-2-2019-300(5)/2018, दिनांक-30/04/2019 के रू0-2163.00 लाख की व्यवस्था निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निवर्तन पर अवमुक्त की गयी

4. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं अभिलेखानु **मैसर्स मारूफ इण्डस्ट्रीज, बी0-24, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, मलवाँ रोड, फतेहपुर को राईस मिल इकाई की स्था हेतु** उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु **ब्याज उपादान की प्र किश्त की धनराशि रू0-6.46 लाख (रूपया छः लाख छियालिस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं तत्संबंध में निर्गत सुसंगत शासना का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अनुपालन की स्थिति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या-36/2017/1343/58-2-2017-600(7)/2017, दिनांक-21.12.2017 एवं शासनादेश संख 15/2019/205/58-2-2019-600(7)/2017, दिनांक-22.02.2019 में उल्लिखित शर्तों एवं नियमों का कड़ाई अनुपालन कराया जाय।

(3) उक्त **ब्याज उपादान की प्रथम किस्त की** धनराशि संस्था के टर्मलोन खातें में निर्गत किया जाना सुनि करेंगे।

(4) अनुदान हेतु स्वीकृत की धनराशि जारी करने से पूर्व उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के दि निर्देशानुसार संस्था से वांछित समस्त अभिलेखों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कराने की कार्यवाही निदेशक, उ

.....

एवं खाद्य प्रसंस्करण/प्राधिकृत संस्था द्वारा पूर्ण करा ली जायेगी तथा उसकी पुष्टि करते हुए इस आशय का प्र पत्र शासन में उपलब्ध कराया जायेगा तथा किसी भी प्रकार के अनियमितता के लिए निदेशक, उद्रयान एवं प्रसंस्करण/निदेशक, मिशन उत्तरदायी होंगे।

(5) संस्था द्वारा संचालित योजना का स्थलीय निरीक्षण एवं भौतिक प्रगति निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण किया जायेगा तथा उसकी आख्या शासन में उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) उक्त धनराशि का उपयोग/व्यय दिनांक-31.03.2020 से पूर्व कर लिया जायेगा तथा आडिटेड उपयोगिता प्र पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि को भुगतान करने से पूर्व वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) धनराशि का व्यय किसी भिन्न प्रयोजन में नहीं किया जायेगा तथा उसी मद में किया जायेगा जिस हेतु धन स्वीकृत की गयी है।

(9) उक्त धनराशि के व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता हेतु निदेशक, उद्रयान एवं खाद्य प्रसंस्करण/ निदे मिशन तथा वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(10) राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों/वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन न किये जाने अथवा भी प्रकार की अनियमितता/शिथिलता पाये जाने पर दी गई अनुदान की धनराशि की सुसंगत वसूली कर जायेगी तथा दोषी के विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(11) यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2018/बी-1-170/दस-2019-231/2018, दिनांक-22.03.201 प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जारहे हैं।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

संख्या-140/2019/1063(1)/58-2-2019, तद्दिनांक:

(1) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्न हिल रोड,इलाहाबाद।
(2) जिलाधिकारी, **फतेहपुर** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से उक्त का सत्यापन कराकर शासन सूचित करने का कष्ट करें।
(3) वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) नियोजन अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

संख्या-141/2019/1064/58-2-2019-600(35)/

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग लखनऊ::दिनांक: 23 दिसम्बर, 201

विषय:- **मैसर्स यश फ्लोर मिल्स प्रा0लि0, गंगाबक्स पुरवा, बिलग्राम, हरदोई को फ्लोर मिल के विस्तारी हेतु उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के योजनान्तर्गत ब्याज उपादान की प्रथम किश्त धनराशि रू0-0.57 लाख (रूपया सत्तावन हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-खा0प्र0मि0-2156/195/2019-20, दिनांक-16.12.201 संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1255/58-2-2 600(7)/2017टी0सी0, दिनांक- 24.11.2017 द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित स्टेट ल इम्पावर्ड सब कमेटी की बैठक दिनांक: 23.07.2019 को **मैसर्स यश फ्लोर मिल्स प्रा0लि0, गंगाबक्स पुरवा, बिल हरदोई को फ्लोर मिल के विस्तारीकरण हेतु** उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत **ब्याज उपा** स्वीकृत किये जाने **की** संस्तुति/अनुमोदन प्रदान किया गया है।

3. अनुदान संख्या-10 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2 के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-72/2019/352/58-2-2019-300(5)/2018, दिनांक-30/04/2019 के रू0-2163.00 लाख की व्यवस्था निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निवर्तन पर अवमुक्त की गयी

4. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं अभिलेखानु **मैसर्स यश फ्लोर मिल्स प्रा0लि0, गंगाबक्स पुरवा, बिलग्राम, हरदोई को फ्लोर मिल के विस्तारीकरण हेतु** उ0प्र0 प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु **ब्याज उपादान की प्रथम किश्त की धनर रू0-0.57 लाख (रूपया सत्तावन हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं तत्संबंध में निर्गत सुसंगत शासना का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अनुपालन की स्थिति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या-36/2017/1343/58-2-2017-600(7)/2017, दिनांक-21.12.2017 एवं शासनादेश संख 15/2019/205/58-2-2019-600(7)/2017, दिनांक-22.02.2019 में उल्लिखित शर्तों एवं नियमों का कड़ाई अनुपालन कराया जाय।

(3) उक्त **ब्याज उपादान की प्रथम किस्त की** धनराशि संस्था के टर्मलोन खातें में निर्गत किया जाना सुनि करेंगे।

(4) अनुदान हेतु स्वीकृत की धनराशि जारी करने से पूर्व उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के दि निर्देशानुसार संस्था से वांछित समस्त अभिलेखों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कराने की कार्यवाही निदेशक, उ एवं खाद्य प्रसंस्करण/प्राधिकृत संस्था द्वारा पूर्ण करा ली जायेगी तथा उसकी पुष्टि करते हुए इस आशय का प्रम पत्र शासन में उपलब्ध कराया जायेगा तथा किसी भी प्रकार के अनियमितता के लिए निदेशक, उद्यान एवं ख प्रसंस्करण/निदेशक, मिशन उत्तरदायी होंगे।

.....2

(5) संस्था द्वारा संचालित योजना का स्थलीय निरीक्षण एवं भौतिक प्रगति निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण किया जायेगा तथा उसकी आख्या शासन में उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) उक्त धनराशि का उपयोग/व्यय दिनांक-31.03.2020 से पूर्व कर लिया जायेगा तथा आडिटेड उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि को भुगतान करने से पूर्व वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) धनराशि का व्यय किसी भिन्न प्रयोजन में नहीं किया जायेगा तथा उसी मद में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(9) उक्त धनराशि के व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता हेतु निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/ निदेशक मिशन तथा वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(10) राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों/वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन न किये जाने अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता/शिथिलता पाये जाने पर दी गई अनुदान की धनराशि की सुसंगत वसूली की जायेगी तथा दोषी के विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(11) यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2018/बी-1-170/दस-2019-231/2018, दिनांक-22.03.2019 प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जारहे हैं।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

संख्या-141/2019/1064(1)/58-2-2019, तद्दिनांक:

(1) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्न हिल रोड,इलाहाबाद।
(2) जिलाधिकारी, **हरदोई** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से उक्त का सत्यापन कराकर शासन को सूचित करने का कष्ट करें।
(3) वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) नियोजन अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

संख्या-142/2019/1056/58-2-2019-600(44)/

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग लखनऊ::दिनांक: 23 दिसम्बर, 201

विषय:- **मै0 इण्डियन ट्रेडर्स, नूरपुर, मुरादाबाद रोड, ग्राम-लकड़हट उमरी कलाँ मुरादाबाद को राईस मिल इ की स्थापना हेतु 30प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के योजनान्तर्गत ब्याज उपादान प्रथम एवं द्वितीय किश्त की धनराशि रू0-8.80 लाख (रूपया आठ लाख अस्सी हजार म अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-खा0प्र0मि0-2158/198/2019-20, दिनांक-16.12.2019 संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1255/58-2-20 600(7)/2017टी0सी0, दिनांक- 24.11.2017 द्वारा मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित स्टेट ले इम्पावर्ड सब कमेटी की बैठक दिनांक: 23.07.2019 को **मै0 इण्डियन ट्रेडर्स, नूरपुर, मुरादाबाद रोड, ग्राम-लक उमरी कलाँ मुरादाबाद को राईस मिल इकाई की स्थापना हेतु** 30प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्त **ब्याज उपादान** स्वीकृत किये जाने **की** संस्तुति/अनुमोदन प्रदान किया गया है।

3. अनुदान संख्या-10 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 30प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2 के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-72/2019/352/58-2-2019-300(5)/2018, दिनांक-30/04/2019 के रू0-2163.00 लाख की व्यवस्था निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निवर्तन पर अवमुक्त की गयी है

4. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं अभिलेखानुस **मै0 इण्डियन ट्रेडर्स, नूरपुर, मुरादाबाद रोड, ग्राम-लकड़हट उमरी कलाँ मुरादाबाद को राईस मिल इकाई की स्थापना** 30प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 हेतु **ब्याज उपादान प्रथम एवं द्वितीय किश्त की धनराशि रू0-8.80 लाख (रूपया आठ लाख अस्सी हजार मात्र)** की प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) 30प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं तत्संबंध में निर्गत सुसंगत शासनादे का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अनुपालन की स्थिति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या-36/2017/1343/58-2-2017-600(7)/2017, दिनांक-21.12.2017 एवं शासनादेश संख्य 15/2019/205/58-2-2019-600(7)/2017, दिनांक-22.02.2019 में उल्लिखित शर्तों एवं नियमों का कड़ाई अनुपालन कराया जाय।

(3) उक्त **ब्याज उपादान की प्रथम एवं द्वितीय किश्त की** धनराशि संस्था के टर्मलोन खातें में निर्गत किया जा सुनिश्चित करेंगे।

(4) अनुदान हेतु स्वीकृत की धनराशि जारी करने से पूर्व 30प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के दिश निर्देशानुसार संस्था से वांछित समस्त अभिलेखों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कराने की कार्यवाही निदेशक, उद्या

.....2/

एवं खाद्य प्रसंस्करण/प्राधिकृत संस्था द्वारा पूर्ण करा ली जायेगी तथा उसकी पुष्टि करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र शासन में उपलब्ध कराया जायेगा तथा किसी भी प्रकार के अनियमितता के लिए निदेशक, उद्रयान एवं प्रसंस्करण/निदेशक, मिशन उत्तरदायी होंगे।

(5) संस्था द्वारा संचालित योजना का स्थलीय निरीक्षण एवं भौतिक प्रगति निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा किया जायेगा तथा उसकी आख्या शासन में उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) उक्त धनराशि का उपयोग/व्यय दिनांक-31.03.2020 से पूर्व कर लिया जायेगा तथा आडिटेड उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि को भुगतान करने से पूर्व वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) धनराशि का व्यय किसी भिन्न प्रयोजन में नहीं किया जायेगा तथा उसी मद में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(9) उक्त धनराशि के व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता हेतु निदेशक, उद्रयान एवं खाद्य प्रसंस्करण/ निदेशक, मिशन तथा वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(10) राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों/वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन न किये जाने अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता/शिथिलता पाये जाने पर दी गई अनुदान की धनराशि की सुसंगत वसूली कर जायेगी तथा दोषी के विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(11) यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2018/बी-1-170/दस-2019-231/2018, दिनांक-22.03.2019 प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जारहे हैं।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

संख्या-142/2019/1056(1)/58-2-2019, तद्दिनांक:

(1) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्न हिल रोड,इलाहाबाद।
(2) जिलाधिकारी, **मुरादाबाद** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से उक्त का सत्यापन कराकर शासन को सूचित करने का कष्ट करें।
(3) वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) नियोजन अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

संख्या-143/2019/1083/58-2-2019-300(15)/201

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग — लखनऊ: दिनांक: 30 दिसम्बर, 201

विषय: **वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-04-0411-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 का कार्यान्वयन की योजनान्तर्गत लम्बित दायित्वों के भुगतान हेतु धनराशि रू0-1.63 लाख की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-67/बजट/2019-20 दिनांक 20.11.2019 के सन्दर्भ में एवं शासन पुर्नविनियोग संख्या-आर0ई0-243/ई-1174/दस-2019, दिनांक-23.12.2019 पृष्ठांकन संख्या-978/58-2-2019-300(15)/2017 दिनांक-24.12.2019 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401-119-04-0409-खाद्य प्रसंस्करध प्रशिक्षण एवं विधान की योजना के मानक मद 01-वेतन मद में प्राविधानित धनराशि रू0-2892.67 लाख में हो रही बचतों के सापेक्ष लेखाशीर्षक-2401-119-04-0411-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 का कार्यान्वयन की योजना में गत वर्षों के लम्बित दायित्वों के भुगतान हेतु धनराशि रू0-1.63 (रूपया एक लाख तिरसठ हजार मात्र) की व्यवस्था पुर्नविनियोग के माध्यम से निम्नलिखित मदवार विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

अनुदान सं0	लेखाशीर्षक/मद का नाम	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	अवमुक्त की जा रही रही धनराशि
10	**2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें 04-फल-0411-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012**			
	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.10	0.16	0.16
	42-अन्य व्यय	2.50	0.90	0.90
	58-आउट सोसिंग सेवाओं हेतु भुगतान	0.45	0.57	0.57
	योग-	**3.05**	**1.63**	**1.63**

(रूपया एक लाख तिरसठ हजार मात्र)

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। विचलन की स्थिति में इसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/मुख्य वित्त नियंत्रक/आहरण वितरण अधिकारी एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में किसी भी दशा में व्यय नहीं किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

3- उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहां आवश्यक होगा सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

4- व्यय की गयी धनराशि का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि उक्त मद में कोई धनराशि बचती है तो उसे शासन को यथासमय समर्पित किया जायेगा।

5- उक्त संस्थाओं को अनुदान की स्वीकृत धनराशि शासन द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।

.....2/-

6- उक्त धनराशि को पुर्नविनियोग के निर्धारित प्रपत्र सं0 बी0एम0-9 पर संलग्नक के अनुसार वित्त विभाग की सहमति व्यवस्थित की गयी है।

7- उक्त धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों के प्राविधानों के अनुसार नियंत्रण अधिकारी के नियंत्रण में किया जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2018/बी-1-170/दस-2019-231/2018, दिनांक 22.03.2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जारहे हैं।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

संलग्नक-यथोक्त

संख्या-143/2019/1083(1)/58-2-2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 को तीन प्रतियों में।
5- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
6- वित्त नियन्त्रक/आहरण वितरण अधिकारी निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

संख्या-144/2019/1084/58-2-2019-300(15)/20

प्रेषक,

सहदेव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग — लखनऊ: दिनांक: 30 दिसम्बर, 201

विषय: **वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अधीन संचालि योजना उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 में अपेक्षित धनराशि रू0-925.00 लाख की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-70/बजट/2019-20 दिनांक 28.11.2019 के सन्दर्भ में एवं शासन पुर्नविनियोग संख्या-आर0ई0-244/ई-1/दस-2019, दिनांक-23.12.2019 पृष्ठांकन संख्या-1002/58-2-201 300(15)/2017 दिनांक-24.12.2019 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401-119-03-0313-लघु एवं सीमान्त कोटि कृषकों हेतु संकर शाकभाजी का उत्पादन एवं प्रबन्ध की योजना के मानक मद 27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि रू 2388.00 लाख में हो रही बचतों के सापेक्ष लेखाशीर्षक-2401-119-04-0418-उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-20 के मानक मद 27-सब्सिडी में गत वर्षों के लम्बित दायित्वों के भुगतान हेतु धनराशि रू0-925.00 (रूपया नौ करो पच्चीस लाख मात्र) की व्यवस्था पुर्नविनियोग के माध्यम से निम्नलिखित मदवार विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधी व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये म

अनुदान सं0	लेखाशीर्षक/मद का नाम	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	अवमुक्त की जा रही रही धनराशि
10	2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें 04-फल-0418-30प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017			
	27-सब्सिडी	2000.00	925.00	925.0
	योग-	2000.00	925.00	925.0

(रूपया नौ करोड़ पच्चीस लाख मा

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। विचलन की स्थिति में इसके लिए निदेशक, उद्यान ए खाद्य प्रसंस्करण/मुख्य वित्त नियंत्रक/आहरण वितरण अधिकारी एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी सीधे उत्तरदा होंगे।

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में किसी भी दशा में व्यय नहीं किया जायेगा। अन्य मद में किया गए व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। इसकें लिए संबंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

3- उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहां आवश्यक होगा सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

4- व्यय की गयी धनराशि का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि उक्त मद में कोई धनराशि बचती है तो उसे शासन क यथासमय समर्पित किया जायेगा।

5- उक्त संस्थाओं को अनुदान की स्वीकृत धनराशि शासन द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।

.....2/

6- उक्त धनराशि को पुर्नविनियोग के निर्धारित प्रपत्र सं0 बी0एम0-9 पर संलग्नक के अनुसार वित्त विभाग की सहमति व्यवस्थित की गयी है।

7- उक्त धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों के प्राविधानों के अनुसार नियंत्र— अधिकारी के नियंत्रण में किया जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2018/बी-1-170/दस-2019-231/2018, दिनांक-22.03.2019 प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जारहे हैं।

भवदीय,

/

(सहदेव)
विशेष सचिव।

संलग्नक-यथोक्त

संख्या-144/2019/1084(1)/58-2-2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 को तीन प्रतियों में।
5- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
6- वित्त नियन्त्रक/आहरण वितरण अधिकारी निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

संख्या-145/2019/1077/58-2-2019-600(53)/2

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग लखनऊ::दिनांक: 31 दिसम्बर, 2019

विषय:- **मैसर्स तिरूपति राईस मिल, मैनपुरी रोड वेदपुरा, इटावा को राईस मिल की स्थापना हेतु उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के योजनान्तर्गत ब्याज उपादान की प्रथम किश्त की धनराशि रू0-22.04 लाख (रूपया बाईस लाख चार हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-खा0प्र0मि0-2174/105/2019-20, दिनांक-19.12.2019 संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1255/58-2-2019-600(7)/2017टी0सी0, दिनांक- 24.11.2017 द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित स्टेट लेवल इम्पावर्ड सब कमेटी की बैठक दिनांक: 23.07.2019 को **मैसर्स तिरूपति राईस मिल, मैनपुरी रोड वेदपुरा, इटावा राईस मिल की स्थापना हेतु** उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत **ब्याज उपादान** स्वीकृत किये जाने की संस्तुति/अनुमोदन प्रदान किया गया है।

3. अनुदान संख्या-10 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-72/2019/352/58-2-2019-300(5)/2018, दिनांक-30/04/2019 के द्वारा रू0-2163.00 लाख की व्यवस्था निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निवर्तन पर अवमुक्त की गयी थी।

4. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं अभिलेखानुसार **मैसर्स तिरूपति राईस मिल, मैनपुरी रोड वेदपुरा, इटावा को राईस मिल की स्थापना हेतु** उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु **ब्याज उपादान की प्रथम किश्त की धनराशि रू0-22.04 लाख (रूपया बाईस लाख चार हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं तत्संबंध में निर्गत सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अनुपालन की स्थिति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या-36/2017/1343/58-2-2017-600(7)/2017, दिनांक-21.12.2017 एवं शासनादेश संख्या-15/2019/205/58-2-2019-600(7)/2017, दिनांक-22.02.2019 में उल्लिखित शर्तों एवं नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाय।

(3) उक्त **ब्याज उपादान की प्रथम किस्त की** धनराशि संस्था के टर्मलोन खातें में निर्गत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(4) अनुदान हेतु स्वीकृत की धनराशि जारी करने से पूर्व उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के दिशा निर्देशानुसार संस्था से वांछित समस्त अभिलेखों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कराने की कार्यवाही निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/प्राधिकृत संस्था द्वारा पूर्ण करा ली जायेगी तथा उसकी पुष्टि करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र शासन में उपलब्ध कराया जायेगा तथा किसी भी प्रकार के अनियमितता के लिए निदेशक, उद्यान एवं प्रसंस्करण/निदेशक, मिशन उत्तरदायी होंगे।

.....

(5) संस्था द्वारा संचालित योजना का स्थलीय निरीक्षण एवं भौतिक प्रगति निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण किया जायेगा तथा उसकी आख्या शासन में उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) उक्त धनराशि का उपयोग/व्यय दिनांक-31.03.2020 से पूर्व कर लिया जायेगा तथा आडिटेड उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि को भुगतान करने से पूर्व वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) धनराशि का व्यय किसी भिन्न प्रयोजन में नहीं किया जायेगा तथा उसी मद में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(9) उक्त धनराशि के व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता हेतु निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/ निदेशक मिशन तथा वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(10) राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों/वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन न किये जाने अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता/शिथिलता पाये जाने पर दी गई अनुदान की धनराशि की सुसंगत वसूली कर जायेगी तथा दोषी के विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(11) यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2018/बी-1-170/दस-2019-231/2018, दिनांक-22.03.2019 प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जारहे हैं।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

संख्या-145/2019/1077(1)/58-2-2019, तद्दिनांक;

(1) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्न हिल रोड,इलाहाबाद।
(2) जिलाधिकारी, **इटावा** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से उक्त का सत्यापन कराकर शासन को सूचित करने का कष्ट करें।
(3) वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, 30प्र0 लखनऊ/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, 30प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, 30प्र0 शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 30प्र0 शासन।
(7) नियोजन अनुभाग-4 30प्र0 शासन।
(8) मैसर्स तिरूपति राईस मिल, 176-शान्ती कालोनी, इटावा।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।